न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 104/2017

प्रविष्टि दिनांक 29.11.2017

रामदेव पुत्र तेज्या जाति बैरवा निवासी खातोली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 27.09.2017 मिसल नम्बर 446/2017

उपस्थिति : (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

दिनांक 29.06.2022

<u>निर्णय</u>

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 27.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 459 रकबा 0.40 है0 एंव खसरा नम्बर 424 रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर उडद,मक्का व मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 360/रू. पेनल्टी कायम कर आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वर्णित आराजीयात राजकीय भूमि नही है,उक्त वर्णित भूमि के साबिक खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा थे,जो अपीलांट के पिता को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.11.1975 को आवंटित कर उक्त भूमि सुपुर्दगी मे दी गई है। आवंटन के बाद अपीलांट के पिता के नाम उक्त भूमि गैर खातेदारी मे दर्ज हुई। अपीलांट के पिता की मृत्यु के उपरांत अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार अपीलांट व उसके पिता का उक्त भूमि पर विगत 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है।अपीलांट ने त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरुस्त कराने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष एक [illegible] भी [illegible] उद्घोषणा दुरुस्ती सम्बन्ध मे पेश कर रखा है,जो बउनवानी रामदेव बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है।अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई सक्षम साक्ष्य प्रस्तुत नही करायी गई है,जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal

Date: 2023.02.04 16:26:45 IST

Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

टोंक

किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व मे बेदखली बाबत कोई दस्तावेज या निर्णय पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कर प्रदर्शित नही करवाया गया है।अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका की साक्ष्य भी लेखबद्ध नही करवायी है। पटवारी हलका ने रिपोर्ट किस तारीख को तैयार की उक्त तारीख का अंकन भी पटवारी हल्का की रिपोर्ट में नही है। पटवारी हल्का ने ऐसी कोई रिपोर्ट किसी स्वतंत्र गवाह के सामने तैयार नहीं की है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 459 रकबा 0.40 है0 एंव खसरा नम्बर 424 रकबा 0.50 है0किस्म चरागाह वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद,मक्का व मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयान से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की और से सोनू की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 459 रकबा 0.40 है0 एंव खसरा नम्बर 424 रकबा 0.50 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम खातोली तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर उडद,मक्का व मूंगफली की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.06.2022 को न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर से स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा मेरा उक्त आराजीयात पर कोई कच्चा पक्का निर्माणा नही है। भविष्य मे कभी भी मे उक्त आराजीयात पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही करूंगा और ना ही ऐसी कोई भावना रखूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 27.09.2017 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:26:45 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक